A47

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या :– 90/2020

ताराचन्द पुत्र श्री बेगाराम, जाति जाट, निवासी डूडीनगर, भौडकी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्टस

1. रविन्द्र पुत्र ताराचन्द, जाति जाट, निवासी डूडीनगर, भौडकी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनू।
2. संगीता देवी पत्नि श्री रविन्द्र, जाति जाट, निवासी डूडीनगर, भौडकी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनू।
3. सुरेश पुत्र ताराचन्द, जाति जाट, निवासी डूडीनगर, भौडकी, पुलिस थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं हाल ड्यूटी सीआरपीएफ चण्डीगढ, पंजाब मो0न0 9435577947

—— रेस्पोडेन्टस्

———

उपस्थितः–

1. श्री ताराचन्दा – अपीलान्ट दौराने बहस अनुपस्थित।
2. श्री रविन्द्र – रेस्पोडेन्ट सं0 1 दौराने बहस अनुपस्थित।
3. श्रीमती संगीता – रेस्पोडेन्ट सं0 2 दौराने बहस अनुपस्थित।
4. श्री रविन्द्र – रेस्पोडेन्ट सं0 3 दौराने बहस अनुपस्थित।

———

प्रथम अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.01.2020 बाबत मुकदमा नम्बर 6/2017 उनवानी ताराचन्द बनाम रवीन्द्र वगैरह अन्तर्गत धारा 4 व 5 अभिभावकों व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अधिकारी (पीठासीन भरण–पोषण अधिकरण उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं)

आदेश

दिनांक 18.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 22.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट ताराचन्द ने एक प्रार्थना पत्र बाबत वृद्व नागरिकों का भरण–पोषण इस आशय के तथ्यों के साथ पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधीकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी क समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एक 68 वर्षीय सीनियर सीटिजन है जो ग्राम डूडीनगर भौडकी तहसील उदयपुरवाटी मे निवास करता है। अप्रार्थी सं0 1 उसका पुत्र रवीन्द्र, अप्रार्थीया सं0 2 उसकी बहु व रवीन्द्र की पत्नि संगीता देवी व अप्रार्थी सं0 3 सुरेश उसका पुत्र है। पिछले काफी लम्बे समय से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उपेक्षा कर रखी है। उसके दोनो पुत्र

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अच्छे पैसे कमाते है। एक पुत्र रविन्द्र बिल्डिंगों मे इलेक्ट्रिक फीटिंग के ठेके लेजता है। तथा अप्रार्थी सं0 3 सी0आर0पी0एफ0 मे नौकरी करता है लेकिन पिछले लम्बे समय से उक्त दोनो पुत्रों एवं उनकी बहू का व्यवहार उचित नही है। ये प्रार्थी को समय पर खाना नही देते है तथा प्रार्थी के रसोई मकानों इत्यादि मे भी ताला लगा देते है। उन्होने प्रार्थी को भंयकर तंग व परेशान कर रखा है। जब प्रार्थी इस बाबत विरोध करता है तो उसे प्रताडित किया जाता है तथा उक्त प्रताडना लगातार जारी है। प्रार्थी के पास वृद्वावस्था मे कमाई का कोई स्त्रोत नही है ना ही उसका शरीर मेहनत मजदूरी करने के लायक है। अप्रार्थीगण सक्षम होने के बाद भी प्रार्थी का भरण पोषण नही कर रहे है ना ही उसे उसके स्वयं के मकानों मे उचित तरीके से रहने दे रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उसे उचित भरण–पोषण दिलाया जावे तथा प्रार्थी के मकानों का ताला खुलवाकर प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अधीकरण ने दिनांक 22.01.2020 को आदेश दिया कि **प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 व 3 को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी को प्रतिमाह 2000/– रूपये (दो हजार रूपये) बतौर भरण–पोषण राशि बैंक खाता 51064555143 एसबीआई बैंक मे जमा करवाये। भुगतान की जाने वाली राशि मे से 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) अप्रार्थी सं0 1 तथा 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) अप्रार्थी सं0 3 प्रार्थी के बैंक खाता मे जमा करवाये। उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जादेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर सम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो** जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न आधारों पर पेश करता है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.01.2020 विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। प्रार्थी ने अपने स्वयं के उपलब्ध तथ्यों एवं विकल्पों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी अपने पुत्रों व उनकी पत्नियों से प्रताडित है। इस तथ्य का उल्लेख प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे किया लेकिन योग्य अधीनस्थ अधीकरण ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ अधीकरण के समस्त प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे इन तथ्यों का भी उल्लेख किया था कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट उसके निजी मकान मे शांतिपूर्ण रहवास मे बाधायें उत्पन्न कर रहे है लेकिन अधीनस्थ अधीकरण ने अपने आदेश मे इस तथ्य का उल्लेख तक करना जरूरी नही समझा ना ही अधीनस्थ अधीकरण द्वारा प्रार्थी को उसके निजी मकान के बाबत कोई सुरक्षा प्रदान की गई ना ही उसके मकान को खाली करवाने का कोई आदेश जारी किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे इन तथ्यों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि प्रार्थी के दोनो पुत्र अच्छा कमाते है जिनमे एक सरकार सेवा मे कार्यरत है तथा दूसरा पुत्र कुशल इलेक्ट्रिशियन है। लेकिन इसके बाद भी अधीनस्थ अधीकरण ने दोनो पुत्रों से एक–एक हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल दो हजार रूपये प्रतिमाह अदा करने का आदेश दिया है जो वर्तमान समय मे कतई तर्कसंगत व न्यायसंगत नही है। वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम मे यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि अगर पुत्र और पुत्रवधु वरिष्ठ नागरिक के घर मे ही रहकर ही उसका पालन–पोषण नही करते है तो न्यायालय उन्हे उचित भरण–पोषण की राशि वरिष्ठ नागरिकों को देने का आदेश करेंगें व वरिष्ठ नागरिक के उपयोग, उपभोग मे आ रहे मकान परिसर को भी उसके पुत्र तथा पुत्रवधु से खाली करवा कर देने

का आदेश संबंधित पुलिस थानाधिकारी को देंगें। लेकिन अधीनस्थ अधीकरण ने कानून की मंशा पर कोई ध्यान नही देते हुए मनमर्जी से इस प्रकार की भरण–पोषण राशि देने का आदेश पारित किया है जिससे वर्तमान समय मे वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण संभव नही है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के रहवासीय मकान को उसके पुत्र, पुत्रवधु से खाली करवाने के बाबत न तो किसी तथ्य का अंकन किया और न ही कोई आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे इन तथ्यों का उल्लेख भी किया था कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को खाना नही देते है तथा खाना मांगने पर दिनांक 08.07.2017 को मारपीट की तथा प्रार्थी अपीलान्ट की बहू संगीता ने झूठे मुकदमे मे फंसाने की धमकी दी। प्रार्थी अपीलान्ट को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित किया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय/अधीकरण ने इन तथ्यों पर कोई ध्यान नही दिया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार की जावे व अदालत मातहत के आदेश दिनांक 22.01.2020 का आदेश निरस्त किया जावे व प्रार्थी/अपीलान्ट को वर्तमान समयानुसार कम से कम 15000/– रूपये प्रतिमाह दोनो पुत्र/रेस्पोडेन्ट्स से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाये व यह आदेश भी जारी किया जाये कि रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट के जीवन मे कोई दखल अंदाजी नही करे तथा ना ही अपीलान्ट के निजी उपयोग, उपभोग के मकानात मे अतिक्रमण करें। अगर रेस्पोडेन्ट्स लने मकान परिसर के किसी हिस्से अथवा मकान पर नाजायज कब्जा कर रखा हो तो पुलिस इमदाद से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

आज अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सम्यक् नोटिस तामिल के अनुपस्थित। अतः अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के रहवासीय मकान को उसके पुत्र, पुत्रवधु से खाली करवाने के बाबत न तो किसी तथ्य का अंकन किया और न ही कोई आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे इन तथ्यों का उल्लेख भी किया था कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को खाना नही देते है तथा खाना मांगने पर दिनांक 08.07.2017 को मारपीट की तथा प्रार्थी अपीलान्ट की बहू संगीता ने झूठे मुकदमे मे फंसाने की धमकी दी। प्रार्थी अपीलान्ट को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित किया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय/अधीकरण ने इन तथ्यों पर कोई ध्यान नही दिया है। अतः अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार की जावे व अदालत मातहत के आदेश दिनांक 22.01.2020 का आदेश निरस्त किया जावे व प्रार्थी/अपीलान्ट को वर्तमान समयानुसार कम से कम 15000/– रूपये प्रतिमाह दोनो पुत्र/ रेस्पोडेन्ट्स से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाये व यह आदेश भी जारी किया जाये कि रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट के जीवन मे कोई दखल अंदाजी नही करे तथा ना ही अपीलान्ट के निजी उपयोग, उपभोग के मकानात मे अतिक्रमण करें। अगर रेस्पोडेन्ट्स लने मकान परिसर के किसी हिस्से अथवा मकान पर नाजायज कब्जा कर रखा हो तो पुलिस इमदाद से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश

जिला कलक्टर झुन्झुनू

दिनांक 22.01.2021 के अनुसार अपीलान्ट को दोनों पुत्रों की ओर से 1000–1000 रूपये उसके बैंक खाते मे जमा कराने के आदेश दिये गये है एवं अपीलान्ट को उसके रहवास हेतु मकानों से कब्जा हटाकर कब्जा अपीलान्ट को दिलाने बाबत आदेश मे कोई उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत के निर्णय को आंशिक उचित नही मानते। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट के जीवन मे कोई दखलदांजी नही करे तथा ना ही अपीलान्ट के निजी उपयोग, उपभोग के मकानात् मे अतिक्रमण करे एवं अपीलान्ट को रहवास हेतु उसके मकानों का कब्जा सौंप देगें साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 3 अपीलान्ट को प्रतिमाह 3000–3000 रूपये उसके खाते मे भरण पोषण के रूप मे जमा करायेंगें। तहसीलदार उदयपुरवाटी एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गुढागौडजी को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर कैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू